

Madhya Pradesh Police

Government of Madhya Pradesh



पावती क्रमांक/- 921343015260004 थाना खुजनेर राजगढ़

स्थान राजगढ़

पावती

दिनांक 13/07/2026

जिला	राजगढ़	थाना	खुजनेर	वर्ष	2026
पावती क्रमांक/-	921343015260004	पावती दिनांक और समय	13/07/2026 23:56	सूचना का प्रकार	लिखित

घटना स्थल का विवरण

क्या घटना की तिथि और समय ज्ञात है?

हाँ

दिनांक से	12/07/2026	दिनांक तक	12/07/2026
समय से	20:00	समय तक	21:00
घटना स्थल	RASOOLPURA ROAD, BHAKHED, 465687		

शिकायतकर्ता

नाम	VISHNU PRASAD DANGI	जन्म तिथि	12/02/1980	राष्ट्रियता	भारतीय
मोबाइल नंबर	9977875219	ईमेल आईडी	shubhamsinghdangi2000@gmail.com		

पता

क्र.सं.	पता प्रकार	पता
1	वर्तमान पता	CHAUDI BAZAR, BHAKHED, राजगढ़, 465687
2	स्थायी पता	CHAUDI BAZAR, BHAKHED, 465687

पहचान

क्रम सं	आईडी प्रकार	आईडी नंबर	पासपोर्ट जारी करने का स्थान	पासपोर्ट अंक तिथि (दिनांक महिना वर्ष)
1	आधार कार्ड (भा वि प प्रा)	652240564055		

घटना संबंधित जानकारी

श्रेणी अन्य प्रकार के अपराध

शिकायत विरुद्ध शारीरिक घटना से संबंधित शिकायत की श्रेणी घर में घुसकर मारपीट करना/ गंभीर चोट करना/ साधारण मारपीट

शिकायत का विवरण

सेवा में, थाना प्रभारी महोदय, पुलिस थाना खुजनेर, जिला राजगढ़ (म.प्र.) विषय: मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी एवं मेरे विरुद्ध की गई झूठी रिपोर्ट के संबंध में आवेदन। महोदय, मैं, विष्णु पिता मदनलाल दांगी, निवासी ग्राम बखेड़, थाना खुजनेर, जिला राजगढ़ (म.प्र.), खेती-किसानी का कार्य करता हूँ। दिनांक 12.07.2026 को रात्रि लगभग 8:00 बजे मैं अपने घर जा रहा था। रास्ते में अजय तंवर एवं राजा दांगी के बीच आपस में झगड़ा-विवाद हो रहा था। अधिक विवाद न हो, इस उद्देश्य से मैंने दोनों के बीच-बचाव करने का प्रयास किया। इसी दौरान अजय तंवर, जो शराब के नशे में था, ने मुझे अश्लील गाली-गलौज करना शुरू कर दिया। जब मैंने उसे गाली देने से मना किया, तो उसने मेरे साथ लात-घुंसों से मारपीट की, जिससे मुझे शरीर में अंदरूनी चोटें आई हैं तथा मैं दर्द से पीड़ित हूँ। मारपीट के बाद अजय तंवर ने मुझे धमकी देते हुए कहा कि "आज के बाद मेरे बीच में आया तो जान से मार डालूँगा।" इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी गवाह कन्हैयालाल दांगी एवं देवनारायण दांगी, निवासी ग्राम बखेड़, हैं, जिन्होंने पूरी घटना देखी है और आवश्यकता पड़ने पर अपने बयान देने के लिए तैयार हैं। मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि अजय तंवर ने मेरे विरुद्ध पुलिस थाना खुजनेर में उसकी दुकान में घुसकर मारपीट करने संबंधी झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है, जबकि मेरा उसकी दुकान में जाकर किसी प्रकार की मारपीट करने से कोई संबंध नहीं है। मुझे झूठे प्रकरण में फँसाने के उद्देश्य से यह रिपोर्ट कराई गई है। अजय तंवर ने अपनी रिपोर्ट में केवल सुरेश तंवर, निवासी सेमली को गवाह बताया है, जबकि वह घटना स्थल पर उपस्थित नहीं था। अतः घटना की सच्चाई सामने लाने हेतु सुरेश तंवर की घटना के समय की मोबाइल लोकेशन एवं कॉल डिटेल् की जांच कराई जाए। इसके अतिरिक्त अजय तंवर की दुकान पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। यदि घटना के समय कैमरे चालू थे और उनकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध थी, तो उसकी जांच कराई जाए। यदि रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं है, तो यह भी जांच का विषय है कि रिकॉर्डिंग उपलब्ध क्यों नहीं है तथा कैमरे वास्तव में चालू थे या बंद। इससे घटना की वास्तविकता स्पष्ट हो सकेगी। अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि मेरी रिपोर्ट पर विधिसम्मत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी अजय तंवर के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए, मेरे गवाहों के बयान लिए जाएँ, उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों एवं मोबाइल लोकेशन की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा झूठे प्रकरण से मेरा नाम पृथक् किया जाए। मैं एक कानून का पालन करने वाला नागरिक हूँ। मैंने केवल दो व्यक्तियों के बीच हो रहे विवाद को शांत कराने एवं बीच-बचाव करने का प्रयास किया था। यदि ऐसे व्यक्ति को ही झूठे प्रकरण में फँसाया जाएगा, तो भविष्य में कोई भी नागरिक किसी विवाद को रोकने अथवा किसी की सहायता करने के लिए आगे आने का साहस नहीं करेगा। अतः मुझे न्याय प्रदान करने की कृपा करें। दिनांक: 13/07/2026 आवेदक विष्णु दांगी निवासी: ग्राम बखेड़, थाना खुजनेर, जिला राजगढ़ (म.प्र.) मोबाइल: +91 99778 75219

अभियुक्त की जानकारी

अभियुक्त का नाम	AJAY TAWAR	जन्म तिथि	लिंग	पुरुष
रिश्तेदार	पिता	रिश्तेदार का नाम	मोबाइल नंबर	0
ईमेल आईडी				
पता	SEMALI, मध्य प्रदेश-465687, भारत			
"महत्वपूर्ण सूचना: BNSS की धारा 173(1)(ii) के अनुसार अगर आप 3 दिनों के भीतर थाना में उपस्थित नहीं होते हैं, तो आपकी ई-एफआईआर को थाने द्वारा अस्वीकार/Reject कर दिया जाएगा।"				

